झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची–834001

प्रेस विज्ञप्ति

जिला क्रीड़ा पदाधिकारी के पद पर सीधी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–12/2017) के संबंध में आवश्यक सूचना।

दिनांक–17.11.2019 को आयोजित जिला क्रीड़ा पदाधिकारी के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–12/2017) का परीक्षाफल दिनांक–16.01.2020 को प्रकाशित कर दिया गया है।

2. आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी निम्न कार्यक्रमानुसार अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि/समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे :–

कार्यक्रम	दिनांक	समय
अभिलेख सत्यापन	04.02.2020	09:00 बजे पूर्वाह्न से (दो पालियों में)
साक्षात्कार	05.02.2020	10:00 बजे पूर्वाह्न से

3. अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र (Call Letter) डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर **दिनांक–22.01.2020** से अपना **रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्म तिथि** डालकर e-Call letter (ई–कॉल लेटर) डाउनलोड कर सकते हैं। e-Call letter (ई–कॉल लेटर) डाउनलोड करने में कोई असुविधा होने पर आयोग के हेल्पलाईन नम्बर **0651–2213009/2220111/9431301419/9431301636** पर कार्यदिवस में पूर्वाह्न–11:00 बजे से अपराह्न–5:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।

4. यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाईट से अपना e-Call letter (ई–कॉल लेटर) प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वे आयोग के पूछताछ काउन्टर पर **दिनांक–04.02.2020 से पूर्व कार्यालय अवधि में अपना नाम एवं जन्म तिथि** सहित आवेदन देकर प्राप्त कर सकते हैं।

5. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाईट से डाउनलोड किये गए e-Call letter (ई–कॉल लेटर) में यदि कोई त्रुटि हो तो आयोग के पूछताछ काउन्टर पर **दिनांक–04.02.2020 से पूर्व** लिखित आवेदन देकर त्रुटि सुधार करा लें इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

6. अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के दौरान निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति दो सेटों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाः–

i. जन्म तिथि के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र

ii. इन्टरमिडिएट (10+2) का प्रमाण पत्र/अंक पत्र

iii. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान से किसी खेल विधा में पूर्णकालिक प्रशिक्षण (डिप्लोमा)

अथवा

शारीरिक शिक्षा अथवा खेल विज्ञान में स्नातक डिग्री संबंधी प्रमाण पत्र/अंक पत्र

iv. भारतीय ओलपिंक संघ से मान्यता प्राप्त किसी खेल में किसी भी आयु/वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/सैफ (SAF) खेलों के साथ–साथ भारतीय ओलपिंक संघ से मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय खेल प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत या समूह में पदक संबंधी प्रमाण पत्र यदि हो तो।

v. जाति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में (झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों हेतु प्रपत्र–I में तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–I एवं पिछड़ा वर्ग–II कोटि के अभ्यर्थियों हेतु प्रपत्र–II में। उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत)

vi. मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र।

vii. अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)

कृ0पृ0उ0

7. अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के आधार पर ही अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग,राँची।